

26/2/26

APO उप० / आमियुक्त अनु० जिसकी
हा. भी. का ज्ञा. पत्र पेश हुआ, जो केवल
आज के लिए स्वीकार किया जाता है।
सार्वभौमिकता के गवाह PW-06 के
पत्रों के अन्तर्गत लिखबद्ध किये गये, शामिल
पत्र रहे। गवाह सु. 1 की तारीख बाद तारीख
आवृत्त उप० नहीं। गवाह को B/W 1000/-
से तलब किया जावे। इतना लिखने पर
APO साहब ने एक ज्ञा. पत्र अंतर्गत धारा
311 CrPc का पेश कर विवेचन किया कि,
प्रकरण में गवाह सुरेशचंद के पूर्व में
अपान लिखबद्ध किये गये थे जिसमें
जबकि मुद्दा माल पर actual इतने से
साहबन से रहे गला। इतना ज्ञा. पत्र पर
जोकि APO साहब गवाह सुरेश को
पुनः साक्षात् हेतु बुलवाना चाह रहे
हैं। ज्ञा. पत्र की नकल अधिकारतः
आमियुक्त ने ज्ञा. पत्र पर कोई आपात्र
प्रस्तुत नहीं की। पत्रावली का अवलोकन
किया गया, जिसमें गवाह सुरेश को
पुनः साक्षात् हेतु तलब किया जाय
आपेक्षित प्रतीत होता है। गवाह
सुरेश PW-01 को पुनः B/W 500 से
तलब किया जावे। इतना प्राप्त पत्र का
निष्ठापण पत्रा. वास्तु लाया आमियुक्त
दि. 10/3/26 को पेश है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दौसा (राज.)